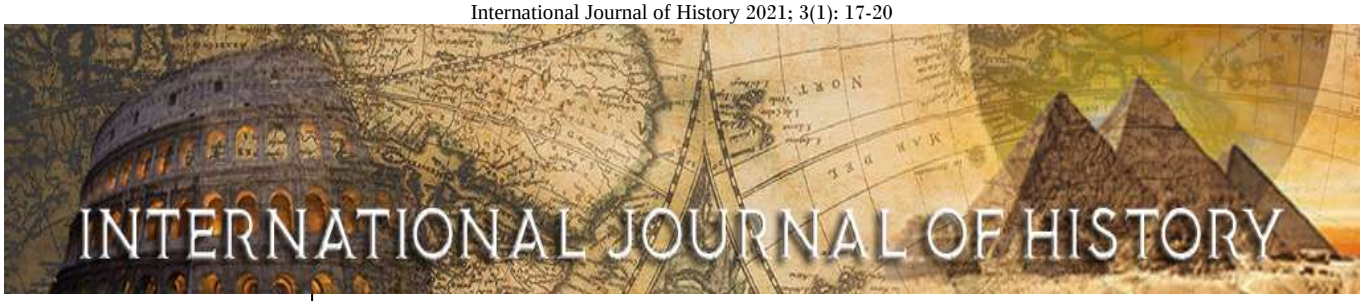

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2021; 3(1): 17-20
Received: 18-11-2020
Accepted: 25-12-2020

डा0 सुष्मिता
असिसटेंट प्रोफेसर, देशबन्धु कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
डा0 सुष्मिता
असिसटेंट प्रोफेसर, देशबन्धु कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

अशोक के धम्म–नीति की समीक्षा

डा0 सुष्मिता

सारांश
इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक अद्भुत प्रतिभाशाली और असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह एक अत्यन्त ही व्यवहारिक व्यक्ति था। चाहे वैदिक धर्म हो, जैन धर्म हो, आजीविक सम्प्रदाय हो, सभी धर्म नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं। इन नैतिक मूल्यों को हर काल में, हर युगों में प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अशोक ने इन्हीं मूल्यों को स्तंभों पर, शिलाओं पर तथा गुहा की दीवारों पर लिखवाए ताकि ये चिर स्थाई रह सकें। आने वाली हर पीढ़ी इस नैतिकता को जाने, समझे तथा उसका पालन करें।
निःसंदेह अशोक और उसके अभिलेखों से संबंधित अनेक शोध कार्य हो चुके है। इतिहासकारों ने अपने–अपने तरीके से अशोक के अभिलेखों की समीक्षा समय–समय पर की है। प्राथमिक स्रोत–अभिलेखों के आधार पर यह शोध–पत्र लिखा गया है। साथ–ही–साथ अपने शोध को बढ़ाने के लिए कुछ ग्रंथों का भी सहारा लिया गया है।
मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त शीर्षक से संबंधित अधिक–से–अधिक इस ओर शोध करने की आवष्यकता है। नवीनतम अनुसंधान एवं शोध एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द – अशोक, नैतिक मुल्य, स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख

प्रस्तावना
प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का एक विशिष्ट स्थान है। अशोक (273–232 ई0 पू0) में मौर्य वंश का महान् सम्राट था। चन्द्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्व परम्परा के अनुसार अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् अशोक को राजसत्ता के लिए अपने 99 भाईयों का वध करना पड़ा। तत्पश्चात् 269 ई0 पू0 में उसका राज्याभिषेक हुआ। वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यन्त क्रूर था। लेकिन यह बात एक किवदंती पर ही आधरित है। सन् 269 ई0पू0 में उसका राज्याभिषेक हुआ। अभिलेखों के आधर पर सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने शासन काल में जगह–जगह शिला लेख, स्तम्भ लेख व गुहा लेख लिखवाए। इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित किया।
जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्रह्मी लिपि को पढ़ लिया गया, उस समय यह नही ज्ञात हो सका था कि ये अभिलेख किस सम्राट से जुड़े हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश अभिलेख में अशोक का उल्लेख दो उपनामों से किया जा रहा था– देवानंपिय (देवताओं को जो प्रिय है) तथा पियदसी (मांगलिक है दर्शन जिसका) साहित्यिक ग्रंथ दीपवंश और महावंश में ही अशोक के लिए देवानंपिय एवं पियदसी संबोधन का प्रयोग हुआ था। मास्की अभिलेख के पश्चात् उडेगोलम, निट्टुर तथा गुर्जर अभिलेखों से प्राप्त हुए लघु शिलालेख संख्या–1 के विभिन्न संस्करणों में सम्राट के व्यक्तिगत नाम ''अशोक'' का उल्लेख मिलता है।
प्राकृत भाषा में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अतः दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कांधार के निकट शर–ए–कुना ग्रीक अरमेइक द्विभाषीय अभिलेख भी पाए गए हैं। लघमन (पूर्वी अफगानिस्तान) से दो तथा तक्षशिला से एक अरमेइक अभिलेख प्राप्त हुए है। लम्पक तथा कांधार के निकट प्राकृत अरमेइक द्विभाषीय अभिलेख भी मिले हैं।
अशोक के अभिलेख प्रायः प्राचीन राजमार्गो के किनारे स्थापित थे तो दूसरी ओर मंदिरों के पास, बंदरगाहों के पास स्तंभ लेख या शिलालेखों को स्थापित किया गया था जहाँ लोग इक्ट्ठा होते होगें। ताकि संदेश को बार–बार पढ़ें व उस पर अमल करें।
अशोक के अभिलेखों में मनुष्य के नैतिक उत्थान की बात कही गई है। उसने निरंतर मानव की

नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्वान्तों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है।
उसके लेखों (हुल्स 1925:9–10) में कहा गया है कि कलिंग विजय के बाद देवताओं के प्रिय द्वारा धर्मानुशासन अच्छी तरह हुआ। शस्त्रों की विजय सबसे बड़ी विजय नहीं है। उसने अपना व्यक्तिगत धर्म भी बदल लिया व बौद्व अनुयायी हो गया।

ध्रपारिदेसु–सवत देवानंपियस धमानुसस्टि अनुवतरे।
यत पि दूति–विजयो सवथा, पुन विजयों पीतिरसो सा लघा
सा पिति होति धम्मविजयम्हि।

अशोक के भाब्रू शिलालेख (हुल्स 1925:172) में कहा गया है कि अपने धर्मपरिवर्तन के एक–आध वर्ष के बाद वह बौद्ध–संघ में शामिल हो गया। अपने लघु स्तंभ में उसने कहा है कि वह 'शाक्य' और बुद्धशाक्य अर्थात् बौद्ध है। उसने बौद्ध–त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है।

विदिते वे भंते आवतके हमा बुद्वसि संघसी ति
गालेव च पसादे ए कोचि भंते।।

धर्म परिवर्तन का उसके व्यक्तिगत जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने राजघराने में प्राचीनकाल से चली आ रही अनेक परिपाटियों और संस्थाओं जो उसके नए धर्म के विपरीत पड़ती थी समाप्त कर दिया। अब उसके सम्मुख एक ही लक्ष्य मुख्य था कि ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना जिसका आधार विष्व–शांति हो , धर्म हो न कि शस्त्र।
अभिलेखों में धम्म शब्द का बार–बार प्रयोग हुआ है। अशोक के स्तंभ अभिलेखों पर उत्कीर्ण राजाज्ञाओं की संख्या सात है, इसलिए इन्हें सप्त स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। ये स्तंभलेख है–दिल्ली– टोपरा, दिल्ली–मेरठ, लौरिया–अरराज, लौरिया–नंदनगढ़, रामपुरवा तथा प्रयाग–स्तंभ या इलाहाबाद–कोसम। दिल्ली–टोपरा स्तंभ अभिलेख में सात लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य स्थानों से प्राप्त स्तंभों पर केवल छः राजाज्ञाएं उत्कीर्ण की गई है। दिल्ली–टोपरा का सातवाँ स्तंभ अभिलेख विशेष महत्त्व का है।
अशोक के स्तंभ लेखों में दूसरे तथा सातवें स्तंभ–लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है– देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं–धर्म करना अच्छा है। पर धर्म क्या? पाप से दूर रहें, बहुत से अच्छे काम करें। दया, दान सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करें। पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। अशोक आगे कहता है कि ''मैंने कई प्रकार से चक्षु का दान या आध्यात्मिक दृष्टि का दान भी लोगों को दिया है। दोपायों, चौपायों, पक्षियों और जलचर जीवों पर भी मैंने अनेक कृपा की है, मैंने उन्हें प्राणदान भी दिया है और भी बहुत से कल्याण के काम मैंने किए है। यह लेख मैंने इसलिए लिखवाया है कि लोग इसके अनुसार आचरण करें और यह चिर स्थायी रहे। जो इसके अनुसार कार्य करेगा वह पुण्य का काम करेगा।
अशोक सातवें स्तंभ लेख में धर्म–वृद्वि की बात करता है। अशोक ने धार्मिक घोषणाएँ की, धर्मानुशासन बरतने का निश्चय किया ताकि जनता उन्हें जानकर, सुनकर धर्म के मार्ग पर चले, अनुसरण कर सके। इस कार्य को पूर्णरूप प्रदान करने के लिए अशोक ने स्त्री महापुरूष नामक राज कर्मचारी, राजुक आदि की नियुक्ति की, धर्म की घोषणा करायी।
इसके अतिरिक्त उसने सार्वजनिक हित के भी अनेक कार्य अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाये। सड़कों पर छायादार वृक्ष लगवाए, आध–आध कोस पर कुएँ खुदवाए, तथा साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया है कि वे कार्य महत्व के नही है। महत्वपूर्ण कार्य तो धर्म का अनुसरण है। अशोक धर्म के अनुसरण के लिए प्रजा से आग्रह करता है।
प्रथम शिलालेख में प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता–पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरू जी के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना। यही मनुष्य का धर्म है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म का अंग माना है। अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की है वरन् उसने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है–निष्ठुरता, क्रोध, चंडता, मान और ईर्ष्या, पाप के लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को इससे दूर रहना चाहिए।
अशोक अपने अभिलेख में नित्य आत्म–परीक्षण पर बल देता है। अशोक कहता है कि मनुष्य हमेशा अपने अच्छे कार्य का बखान करता है।
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा दसवें शिलालेख में धम्म की चर्चा करते हुए, अपनी प्रजा से आग्रह, अनुमोदन करता है कि सभी धर्म या संप्रदायों का आदर सत्कार अत्यन्त ही आवश्यक है। विविध प्रकार के दान और पूजा से गृहस्थ और संन्यासी सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर वह कहता है कि सब संप्रदायों के सार (तत्व) की वृद्वि है। सार वृद्वि कई प्रकार की होती है। उसका मूल है–वचन का संयम अर्थात लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना अवसर दूसरे संप्रदायों की निन्दा न करें या विशेष अवसर पर निन्दा भी हो तो संयम के साथ या थोड़ी होनी चाहिए। किसी भी अवसर पर, हर दशा में दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए। दूसरे सम्प्रदाय पूजनीय है। ऐसा करता हुआ मनुष्य अपने सम्प्रदाय की वृद्वि करता है और दूसरे सम्प्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत करता हुआ अपने सम्प्रदाय को क्षीण करता है और दूसरे सम्प्रदाय का उपकार।
जो कोई अपने सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करता है वह ऐसा करता हुआ अपने सम्प्रदाय की बहुत हानि करता है। अतः सभी धर्म को ध्यान देकर सुने और लोग एक दुसरे के धर्म की सेवा करें। उसने इच्छा व्यक्त की, कि सभी संप्रदाय कल्याणकारी सिद्धान्त वाले हों। उस काल में सहिष्णुता की इतनी गहन भावना विश्व में कहीं नहीं मिलती। अशोक ने धम्म को मुख्य रूप से दो पक्षों में विभाजित किया है, जो नैतिक आचार–व्यवहार से संबंधित है, परन्तु उसका धम्म केवल नैतिक आचार संहिता ही नहीं था, अपितु यह भी प्रेरणा देता है कि मनुष्य को विभिन्न धर्मों के प्रति व राजा को अपनी प्रजा के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। (मिश्रा 19993:40–41)
अशोक ने चौथे शिलालेख में धम्म के नैतिक सकरात्मक पक्ष पर चर्चा की है।

अनारंभों प्राणानां अविहिंसा भूतान त्रातीनं संपतिपति ब्रम्हण समणांन संपतिपति
मातरि–पितरि सुर्सुसा थेरसुर्सुसा (.) एस अत्रो च बहुविधे धम चरणें वढिते वढयिसति (.)

अर्थात् प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुँचाना, माता–पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, मित्रों परिचतों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना भी धम्म ही है।
इसके अतिरिक्त नवें शिलालेख में भी धम्म का नैतिक सकरात्मक पक्ष दिखलाई देता है।

ततवे दासभतकम्हि सम्यर्पतिपती गुरूनं अपचिति साधु पाणेसु सयमो साधु बम्हण
समणानं साधुं दानं एत च अत्रा च एतरिसं धमंमंगलं नाम (.) (मूर्ति:50) त वतव्यं पिता व

इससे विदित होता है कि अशोक ने न केवल धम्म के विशिष्ट गुण ही बतलाए, अपितु व्यावहारिक जीवन में उनका पालन करना भी उचित बताया (गुप्ता 1996:55)

अततः शिलाओं व स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि अशोक का धम्म व्यावहारिक, फलमूलक एवं अत्यधिक मानवीय था।

अशोक एक सम्राट होते हुए भी उसने अपने शिलालेखों, स्तंभलेख व गुहालेखों के माध्यम से लोगों को आग्रह किया, अनुमोदन किया, निवेदन किया, अनुरोध किया।

सम्राट अशोक ने धौली एवं जौगड़ के अतिरिक्त शिलालेख में राजनीतिक आदर्शवादिता का परिचय दिया है। न्यायिक दुरूपयोग को रोकने के लिए उसने महामात्रों की नियुक्ति की थी, ये धम्म महामात्र न्याय–शासन के अध्यक्ष थे। अशोक इन महामात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप लोग कई सहज प्राणियों के ऊपर रखे गए हैं, जिससे हम मनुष्यों का स्नेह प्राप्त कर सके। वो कहता है कि मेरी प्रजा हर प्रकार के हित और सुख को प्राप्त करे। सब मनुष्य ऐहिक और परलौलिक सब तरह के हित और सुख को प्राप्त करे। धम्म महामात्रों का प्रमुख कार्य जनता में धर्म प्रचार करना तथा दानशीलता को उत्साहित करना था। किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से इनका कार्य यह था–जिन्हें कारावास का दंड दिया गया हो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना, अपराधियों के संबंधियों से संपर्क बनाए रखकर उन्हें सात्वना देना। बंदीगृह में कैदियों के दंड पर पुनर्विचार करना एवं दंड को कम करना या मध्य पथ अपनाना (निष्पक्ष न्याय का मार्ग अपनाना)। इस प्रकार अशोक ने न्याय और दंड में मानवीयता लाने का प्रयास किया। न्याय को दया से मिश्रित करके मृदु (नरम) बना दिया।

अशोक व्यावहारिक व्यक्ति था। उसने मृत्युदंड को एकदम समाप्त नहीं किया, किन्तु यह व्यवस्था की कि यदि समुचित कारण उपस्थित हो, तो धम्म महामात्र न्यायाधिकारियों से दंड कम करवाने का प्रयत्न करें। जिन अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया हो उन्हें तीन दिन का अवकाश देने की व्यवस्था की गई ताकि इसी बीच उनके संबंधी उनके जीवनदान के लिए राजुकों से प्रार्थना कर सकें और (यदि यह संभव न हो सके तो) वे दान–व्रत–प्रार्थना द्वारा परलोक की तैयारी कर सकें। राजुकों को आदेश दिया गया कि अभिहार दंड में एकरूपता हो और न्याय पक्षपातरहित हो।

सम्राट अशोक के अत्यन्त कुशल प्रशासन का पता उसके सातवें स्तंभ लेख से लगता है। धर्म की वृद्धि, धर्म के प्रचार–प्रसार के लिए उसने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी जिनका कार्य, अन्य कार्यों के अलावा सभी संप्रदायों का निरीक्षण भी करना था।

धर्म की उन्नति और धर्म का आचरण इसी में है कि लोगों में दया, दान, सत्य, शौच (पवित्रता) मृदुलता और साधुता बढ़े।

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा इस स्तंभलेख में कहते हैं कि मनुष्यों में जो यह धर्म की वृद्वि हुई है वो दो प्रकार से हुई है अर्थात् एक धर्म के नियम के द्वारा और दूसरे विचार–परिवर्तन के द्वारा इन दोनों में से धर्म के नियम कोई बड़े महत्त्व की वस्तु नहीं है, पर विचार–परिवर्तन बड़े महत्त्व की बात है। क्योंकि इससे प्राणियों की अंहिसा और (यज्ञों में) जीवों का अवध (वध न किया जाना) बढ़ा है।

अशोक कई दृष्टियों से अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और संसार के इतिहास में महान् से महान् तथा असाधरण व्यक्तियों में से एक था। साथ ही वह एक महान् विजेता, निर्माता, राजनीति–विशारद् शासक, धर्म और समाजसुधारक, और दार्शनिक था।

गावीमठ, ब्रह्मगिरि, मास्की, गिरनार, रामेश्वर एवं जटिंग आदि स्थलों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए है। कश्मीर सीमावर्ती प्रदेशों की भाँति अशोक के साम्राज्य से जुड़ा हुआ था तो दूसरी ओर बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष बाद अर्थात् 236 ई0 पू0 में अशोक धम्म मिशन के रूप में खोतान गया था (झा एवं श्रीमाली 1981:18)। इसी प्रकार अशोक अपनी धम्म–यात्रा के दौरान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी गया था, जहाँ शाक्यमुनि का जन्म हुआ था जो कि हमें उसके शिला लेख से ज्ञात होता है।

अशोक के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह धम्म के आदर्शो का वैचारिक स्तर पर और व्यावहारिक स्तर पर अनुपालन कर रहा था। अशोक ने एक सम्राट के रूप में अपने आपको इन धम्म अभिलेखों में धम्म के प्रधान शिक्षक और संरक्षक के रूप में वर्णित किया है।

अशोक के धर्म के विषय में इतिहासकारों में अलग–अलग मत है। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म से धम्म में वर्णित नैतिक मूल्यों की समानता को आधार बनाकर उसे बौद्ध–धर्म का विस्तार भर मानते है, तो दूसरी ओर ऐसे भी इतिहासकार है, जो मानते है कि अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म में हम जिन नैतिक मूल्यों की समानता देखते हैं वह प्राचीन परम्परा का ही विस्तार है या विस्तृत रूप है (थापर 1977:150)। यदि धम्म का विश्लेषण करेगें तो पाएगें कि आजीवक संप्रदाय, ब्राह्मण–धर्म, और दूसरे समसामयिक संप्रदायों एवं प्राचीन परम्पराओं में इन सभी नैतिक मूल्यों को ढूंढ़ा जा सकता है। अतंतः अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ लेख में भी इन नैतिक मूल्यों की झलक देखी जा सकती है।

डी0 आर0 भंडारकर (1969:105) का मत है कि अभिलेख का धम्म बौद्ध धर्म का वह रूप है जो गृहस्थ उपासकों के लिए बताया गया है। यद्यपि अशोक का धम्म उन सिद्धान्तों को स्वीकृत करता है, जिनको सभी धर्म मानते हैं। अशोक को स्वयं इसकी प्ररेणा बौद्ध धर्म से मिली थी। भंडारकर (1969:103) आगे कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण धम्म को राजाओं एवं गवर्नरों के लिए नहीं अपितु प्रजा के लिए आचरणीय बताया है। तो दूसरी ओर जे0 एफ0 फ्लीट (1908:491–497) का विचार है कि अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म अर्थात् राजाओं के लिए बताए गए कर्तव्यों का संग्रह था।

दरअसल, रोमिला थापर (1963,1987:136–81) ने धम्म के प्रचार–प्रसार को राजनीतिक आवश्यकता की पृष्टभूमि में देखने की कोशिश की है। बौद्ध धर्म के अनावश्यक प्रभाव को कम आकते हुए उनका यह मानना है कि किसी भी राजनयिक की व्यक्तिगत आस्था और उसके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सिद्धान्तों के बीच में हो सकता है कि कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हो। उनके अनुसार धम्म दरअसल अशोक के द्वारा उपयोग में लाया गया एक सैद्धांतिक और वैचारिक माध्यम था, जिसके द्वारा उसने अपने विस्तृत साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने का आधार निर्मित किया।

अशोक के धम्म का विश्लेषण किया जाए तो बौद्ध धर्म से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध का बोध होता है। इसमें अतिरिक्त अशोक के धम्म का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से, अशोक के शिलालेखों, स्तंभलेखों में प्रयुक्त प्रतीक चिन्हों के आधर पर भी किया जा सकता है। सभी प्रतीकों का वृहत परिप्रेक्ष्य है किन्तु कहीं–न–कहीं उनमें बुद्ध धर्म से कोई सातत्त्व परिलक्षित होता है, जैसा कि गिरनार के विभिन्न स्तंभ में सफेद हाथी का प्रयोग किया गया है जो बौद्ध धर्म में संपूर्ण संसार के कल्याण का प्रतीक है। कालसी में भी एक हाथी को दिखलाया गया है जिसमें जो संक्षिप्त अभिलेख में 'गजतमें' (सर्वश्रेष्ठ हाथी) उत्कीर्ण है। धौली में भी हाथी का प्रतीक है जहाँ 'सेतों' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका संकेत सफेद हाथी की ओर है।

अतः अशोक की व्यक्तिगत आस्था है वह गिरनार, धौली और कालसी के बौद्ध प्रतीक हाथी से चिन्हित किया जा सकता है। सफेद हाथी का बौद्ध धर्म में अभिप्राय है कि संभावी बुद्ध को सफेद हाथी से दर्शाया जाता है।

डा0 राधा कुमुद मुखर्जी/गोयल 1988:112 की मान्यता है कि अशोकीय धम्म में आचरण के ऐसे सिद्धान्त थे, जो सभी धर्मों व

संप्रदायों को समान रूप से मान्य थे।

जे0 एम0 मैकफेल/मुखर्जी 1976:76–77 ने भी समर्थन करते हुए कहा है कि, ''धम्म का अभिप्राय बौद्ध धर्म से न होकर उस सामान्य सदाचरण से था जिसका पालन अशोक अपनी संपूर्ण प्रजा से करवाना चाहता था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो''।

अतः सभी विद्वान मानते हैं कि यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने अभिलेखों में जिस धम्म का प्रतिपादन किया वह बौद्ध धर्म नहीं, अपितु जनता का सार्वभौमिक धर्म था, जो सभी भारतीय धर्मों व संप्रदायों को समानरूप से स्वीकार्य था। यह सभी धर्मों का सार था। एक अत्यन्त ही विशाल साम्राज्य के राजा के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों का पालन करने वाली जातियाँ रहती हों तथा जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हो, ऐसा ही धर्म वांछित भी था। सम्राट अशोक को अपनी संपूर्ण प्रजा के सुख शांति व लाभ की चिंता थी। उसने बहुत विचार विर्मश कर इस व्यवस्था को चयन कर इसे प्रतिपादित किया होगा ताकि अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का आघात न पहुँचे। अतंतः महान् सम्राट अशोक ने एक विश्व–धर्म की नींव रखी।

चित्र 1: दिल्ली–टोपरा स्तम्भ, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली

चित्र 2: दिल्ली–मेरठ स्तम्भ

संदर्भ

1. गुप्त परमेश्वरी लाल, 1996, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख
2. गोयल, श्रीराम, 1988, प्रियदर्शी अशोक।
3. झा, द्विजेंद्र नारायण एवं श्रीमाली 1981, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख।
4. फ्लीट, जे0 एफ0 1908 जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी।
5. भंडारकर, डी0 आर0 1969, अशोक, कलकत्ताः यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. मैकफेल, जे0 एम0 1981 अशोक, कलकत्ताः लंदन ऑक्सफोर्ड प्रेस।
7. मुखर्जी, राधकुमुद, 1976, अशोक।
8. विद्यालंकार, सत्यकेतु 1985, मौर्य साम्राज्य का इतिहास।
9. हुल्स, ई0 1925, द इंस्क्रिपशन ऑफ अशोक कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, जिल्द प्रथम।
10. मूर्ति, जी0 एस0, अशोक के अभिलेख
11. पाण्डे, राजबली–अशोक के अभिलेख
12. सिंह, उपिन्दर 2017, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास–पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक।

References

1. Singh Upinder. Texts on stone: Understanding Asoka's epigraph – Monuments and their charging contexts. Indian Historical Review 1997-98;24(1-2):1-19.
2. Thapar, Romila. Asoka and the Decline of the Mauryas. 7th rep Delhi: Oxford University press 1963.
3. The Mauryas Revisited. Sakharam Ganesh Deuskar Lectures on Indian History. Centre for studies in social science. Calcatta K.P. Bagchi & Co 1984.
4. Sircar DC. Selct Inscriptions 1965.
5. Sharma RS. India's Ancient Past 2005.
6. Sahu Bhairabi Prasad. Society and culture in Post-Mauryan India C. 200 B.C – AD 300 2015.
7. Separate Rock Edicts of Ashok. A critical Appraisal-Susmita Basu Majumdar, Soumya Ghosh, Shoumita Chatterjee.
8. Pratna Samiksha. A Journal of Archaeology, New Series, Kolkata 2019.